क्रम-संख्या–135(क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0/एल0-डब्लू/एन0पी0–91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 17 अगस्त, 2021

श्रावण 26, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग

———

संख्या 874/86-2021-132-2016

लखनऊ, 17 अगस्त, 2021

———

अधिसूचना

सा0प0नि0–56

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67 सन् 1957) की धारा 9ख की उपधारा (3) और धारा 15 एवं 15क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियमावली, 2017 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं:–

उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउन्डेषन न्यास (द्वितीय संषोधन) नियमावली, 2021

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2021 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 4 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियमावली, 2017 (जिसे आगे ''उक्त नियमावली'' कहा गया है), में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम–4 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 **विद्यमान नियम**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
4– न्यास का गठन एवं प्रबन्ध निम्नानुसार होगा :– (1) न्यास में एक शासी परिषद एवं एक प्रबन्ध समिति होगी। (2) न्यास का प्रबन्ध करने का प्राधिकार शासी परिषद् में निहित होगा।	4– न्यास का गठन एवं प्रबन्ध निम्नानुसार होगा :– (1) न्यास में एक शासी परिषद् एवं एक प्रबन्ध समिति होगी। (2) न्यास का प्रबन्ध करने का प्राधिकार शासी परिषद् में निहित होगा।

स्तम्भ–1 **विद्यमान नियम**		स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**	
(3) शासी परिषद में निम्नलिखित होगें :–		(3) शासी परिषद में निम्नलिखित होंगे :–	
(क)	जिलाधिकारी/कलेक्टर –अध्यक्ष	(क)	जिलाधिकारी/कलेक्टर –अध्यक्ष
(ख)	प्रभागीय वन अधिकारी –सदस्य	(ख)	प्रभागीय वन अधिकारी –सदस्य
(ग)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी –सदस्य	(ग)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी –सदस्य
(घ)	अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग –सदस्य	(घ)	अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग –सदस्य
(ड़)	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी –सदस्य	(ड़)	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी –सदस्य
(च)	जिला पंचायत राज अधिकारी –सदस्य	(च)	जिला पंचायत राज अधिकारी –सदस्य
(छ)	जिला खनन अधिकारी –सदस्य/सचिव	(छ)	जिला खनन अधिकारी –सदस्य/सचिव
(ज)	जिला अधिकारी द्वारा यथा नाम निर्दिष्ट दो खनन पट्टा धारक –सदस्य	(ज)	जिला अधिकारी द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट दो खनन पट्टा धारक –सदस्य
(झ)	खनिज का उपयोग करने वाली संस्था, यदि कोई हो, का प्रतिनिधि –सदस्य	(झ)	खनिज का उपयोग करने वाली संस्था, यदि कोई हो, का प्रतिनिधि –सदस्य
(ञ)	जिलाधिकारी द्वारा यथा नाम निर्दिष्ट सीधे तौर से प्रभावित क्षेत्रों के प्रतिनिधि –सदस्य	(ञ)	जिलाधिकारी द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट सीधे तौर से प्रभावित क्षेत्रों के प्रतिनिधि –सदस्य
		(ट)	(एक) जिले का लोक सभा में संसद–सदस्य (एम0पी0), –सदस्य यदि किसी जिले में एक से अधिक लोक सभा के संसद–सदस्य (एम0पी0) हों तो उक्त जिला के लोक सभा के ऐसे समस्त संसद–सदस्य शासी परिषद् के सदस्य होंगे। यदि लोक सभा के संसद –सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र एक से अधिक जिले में आता हो तो ऐसे लोक सभा के संसद–सदस्य ऐसे समस्त जिलों के शासी परिषद् के सदस्य होंगे।

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	(दो) राज्य से स्वयं द्वारा चयनित एक जिले का राज्य सभा संसद सदस्य –सदस्य
	राज्य सभा के संसद सदस्य को स्वयं द्वारा चयनित जिले का नाम, राज्य के खनन विभाग के प्रभारी सचिव को सूचित करना होगा, जो सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट को तत्सम्बंध में सूचित करेगा।
	(तीन) जिला का विधान सभा–सदस्य –सदस्य
	(चार) राज्य का स्वयं द्वारा चयनित एक जिले का विधान परिषद सदस्य –सदस्य
	विधान परिषद सदस्य (एम0एल0सी0) अपने द्वारा चयनित जिला का नाम राज्य के खनन विभाग के प्रभारी सचिव को सूचित करेगा, जो सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट को तत्सम्बंध में सूचित करेगा।
(4) गैर सरकारी सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा।	(4) गैर सरकारी सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा।
(5) कोई सरकारी सदस्य तब पद धारण करने से प्रविरत हो जायेगा, जब वह सरकारी पद धारण करने से प्रविरत हो जायेगा/जायेगी।	(5) कोई सरकारी सदस्य तब पद धारण करने से प्रविरत हो जायेगा, जब वह सरकारी पद धारण करने से प्रविरत हो जायेगा/जायेगी।
(6) न्यास की दिन प्रतिदिन की कार्य प्रणाली प्रबन्ध समिति में निहित होगीः–	(6) न्यास की दिन प्रतिदिन की कार्य प्रणाली प्रबन्ध समिति में निहित होगीः–
(क) प्रबन्ध समिति में निम्नलिखित होगें:–	(क) प्रबन्ध समिति में निम्नलिखित होगें:–
(एक) जिलाधिकारी/कलेक्टर –अध्यक्ष	(एक) जिलाधिकारी/कलेक्टर –अध्यक्ष
(दो) अपर जिलाधिकारी (वि0 /रा0) –सदस्य	(दो) अपर जिलाधिकारी (वित्त/ राजस्व) –सदस्य
(तीन) जिलाधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई एक उपजिलाधिकारी –सदस्य	(तीन) जिला अधिकारी द्वारा नाम– निर्दिष्ट कोई एक उपजिलाधिकारी –सदस्य

स्तम्भ–1 **विद्यमान नियम**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
(चार) जिला खनन अधिकारी –सदस्य /सचिव	(चार) जिला खनन अधिकारी –सदस्य /सचिव
(ख) प्रबन्ध समिति का कोई सरकारी सदस्य, सदस्य का पद धारण करने से प्रविरत हो जायेगा जब वह सरकारी पद धारण करने से प्रविरत होगा/होगी।	(ख) प्रबन्ध समिति का कोई सरकारी सदस्य, सदस्य का पद धारण करने से प्रविरत हो जायेगा जब वह सरकारी पद धारण करने से प्रविरत होगा/होगी।

नियम 17 का संशोधन

2–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम–17 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 **विद्यमान नियम**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
17– न्यास में उपलब्ध निधियों का उपयोग निम्नलिखित के लिये किया जायेगाः– (क) उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र कम से कम 60 प्रतिशत निधि का प्रयोग निम्नलिखित मदों में किया जायेगा :–	17– न्यास में उपलब्ध निधियों का उपयोग निम्नलिखित के लिये किया जायेगाः– (क) उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र–कम से कम 60 प्रतिशत निधि का प्रयोग निम्नलिखित मदों में किया जायेगा :–
(क) पेयजल आपूर्ति :–केन्द्रीकृत निर्मलीकरण प्रणाली, जल उपचार संयंत्र, स्थायी/अस्थायी जल वितरण नेटवर्क, जिसमें पेयजल की आपूर्ति हेतु जल पाईप बिछाने की अच्छी सुविधा सम्मिलित है।	**(क) पेयजल आपूर्ति** :– केन्द्रीकृत निर्मलीकरण प्रणाली, जल उपचार संयंत्र, स्थायी/अस्थायी जल वितरण नेटवर्क, जिसमें पेयजल की आपूर्ति हेतु जल पाईप बिछाने की अच्छी सुविधा सम्मिलित है।
(ख) पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियत्रंण के उपाय – वहिःस्त्रोत उपचार सयंत्र, क्षेत्र में झरना, झील, तालाब, भूगर्भ जल और अन्य जलस्रोत के प्रदूषण की रोकथाम, खनन संक्रियाओं और भंडारणों से उत्पन्न वायु एवं धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, खान जल निकासी प्रणाली, खान प्रदूषण निवारण तकनीकें, कार्यशील या निषिद्ध खानों के लिए उपाय, अन्य वायु, जल तथा भू–सतह प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, पर्यावरणीय सौहार्द एवं सम्पोषणीय खान विकास हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करना, तथा पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के दृष्टिकोण से अवैध खनन/परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु तकनीकी अवसंरचनाओं के सृजन के कार्य अन्तर्गत आवश्यक उपकरण एवं कर्मचारी उपलब्ध कराना।	**(ख) पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के उपाय** – वहिःस्रोत उपचार संयत्र क्षेत्र में झरना, झील, तालाब, भूगर्भ जल और अन्य जलस्रोत के प्रदूषण की रोकथाम, खनन संक्रियाओं और भंडारणों से उत्पन्न वायु एवं धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, खान जल निकासी प्रणाली, खान प्रदूषण निवारण तकनीकें, कार्यशील या निषिद्ध खानों के लिए उपाय, अन्य वायु, जल तथा भू–सतह प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, पर्यावरणीय सौहार्द एवं सम्पोषणीय खान विकास हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करना, तथा पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के दृष्टिकोण से अवैध खनन/परिवहन पर नियंत्रण रखने हेतु तकनीकी अवसंरचनाओं के सृजन हेतु आवश्यक उपकरण एवं कार्मिक उपलब्ध कराना।
(ग) स्वास्थ्य देखभाल– प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक/ द्वितीयक/ तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के सृजन पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना के सृजन	**(ग) स्वास्थ्य देखभाल**– प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक/द्वितीयक/ तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के सृजन पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना के सृजन

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
पर ही केवल जोर नही दिया जाना चाहिए, बल्कि ऐसी प्रभावी सुविधा उपलब्ध कराने के लिये अपेक्षित आवश्यक कर्मचारी, उपकरण और आपूर्तियों के उपबन्ध पर भी जोर दिया जाना चाहिये। उस सीमा तक स्थानीय निकायों, राज्य और केन्द्र सरकार के विद्यमान स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना के अनुरूप अनुपूरक प्रयास और कार्य किया जाना चाहिये। राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान में उपलब्ध विशेषज्ञ को भी खनन से सम्बन्धित बीमारी और रोगों की देखभाल करने के लिये आवश्यक विशेष अवसंरचना को अभिकल्पित करने के लिये ध्यानाकर्षित किया जा सकता है। सामूहिक स्वास्थ देखभाल बीमा योजना, खनन से प्रभावित व्यक्तियों के लिये क्रियान्वित की जा सकती है।	पर ही केवल जोर नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि ऐसी प्रभावी सुविधा उपलब्ध कराने के लिये अपेक्षित आवश्यक कर्मचारी, उपकरण और आपूर्तियों के उपबन्ध पर भी जोर दिया जाना चाहिये। उस सीमा तक स्थानीय निकायों, राज्य और केन्द्र सरकार के विद्यमान स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना के अनुरूप अनुपूरक प्रयास और कार्य किया जाना चाहिये। राष्ट्रीय खनिज स्वास्थ्य संस्थान में उपलब्ध विशेषज्ञ को भी खनन से सम्बन्धित बीमारी और रोगों की देखभाल करने के लिये आवश्यक विशेष अवसंरचना को अभिकल्पित करने के लिये ध्यानाकर्षित किया जा सकता है। खनन से प्रभावित व्यक्तियों के लिये सामूहिक स्वास्थ देखभाल बीमा योजना, क्रियान्वित की जा सकती है।
(घ) शिक्षा– विद्यालय भवनों, अतिरिक्त शिक्षण कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, कला और हस्तकला कक्ष, सामूहिक शौचालय का निर्माण, पेयजल उपबन्ध, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में छात्रों/अध्यापकों के लिये आवासीय छात्रावास, खेल अवसंरचना, व्यवसायिक प्रशिक्षण सुविधा, अध्यापकों एवं अन्य सहायक कर्मचारियों को कार्य में लगाया जाना, इंटरनेट के माध्यम से शिक्षण व्यवस्था, परिवहन सुविधाओं (बस/वैन /साईकिल/रिक्शा आदि) और पौष्टिकता से सम्बन्धित कार्यक्रमों की व्यवस्था किया जाना।	**(घ) शिक्षा**– विद्यालय भवनों, अतिरिक्त शिक्षण कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, कला और हस्तकला कक्ष, सामूहिक शौचालय का निर्माण, पेयजल उपबन्ध, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में छात्रों/अध्यापकों के लिये आवासीय छात्रावास, खेल अवसंरचना, व्यवसायिक प्रशिक्षण सुविधा, अध्यापकों एवं अन्य सहायक कर्मचारिवर्ग को कार्य में लगाया जाना, ई–शिक्षण व्यवस्था, परिवहन सुविधाओं (बस/वैन/साईकिल/रिक्शा आदि) और पौष्टिकता से सम्बन्धित कार्यक्रमों की व्यवस्था किया जाना।
(ङ) महिला एवं बाल कल्याण– मातृ एवं बाल स्वास्थ्य, कुपोषण, किशोरावस्था तथा संक्रामक रोगों से सम्बन्धित समस्याओं का पता लगाने हेतु विशेष कार्यक्रम न्यास के अधीन किये जायेंगे।	**(ङ) महिला एवं बाल कल्याण**– मातृ एवं बाल स्वास्थ्य, कुपोषण, किशोरावस्था तथा संक्रामक रोगों से सम्बन्धित समस्याओं का पता लगाने हेतु विशेष कार्यक्रम न्यास के अधीन किये जायेंगे।
(च) वयोवृद्ध एवं निःशक्त लोगों का कल्याण– वयोवृद्ध एवं निःशक्त लोगों के कल्याण हेतु विशिष्ट कार्यक्रम।	**(च) वयोवृद्ध एवं निःशक्त लोगों का कल्याण**– वयोवृद्ध एवं निःशक्त लोगों के कल्याण हेतु विशिष्ट कार्यक्रम।
(छ) कौशल विकास– जीविका अवलम्ब एवं आय सृजन हेतु कौशल विकास और स्थानीय पात्र, व्यक्तियों के लिये आर्थिक	**(छ) कौशल विकास**– जीविका अवलम्ब, आय सृजन हेतु कौशल विकास और स्थानीय पात्र, व्यक्तियों

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
गतिविधियों/परियोजनाओं/योजनाओं में प्रशिक्षण व्यावसायिक /कौशल विकास केन्द्र का विकास स्वरोजगार योजनाएं, स्वयं सहायता समूह अवलम्ब और ऐसे स्वरोजगार सम्बन्धी आर्थिक क्रिया–कलापों हेतु अगड़े और पिछड़े लोगों के प्रति जुड़ाव का उपबन्ध सम्मिलित है।	के लिये आर्थिक गतिविधियों/परियोजनाओं/योजनाओं में प्रशिक्षण व्यावसायिक/कौशल विकास केन्द्र का विकास स्वरोजगार योजनाएं, स्वयं सहायता समूह अवलम्ब और ऐसे स्वरोजगार सम्बन्धी आर्थिक क्रिया–कलापों हेतु अगड़े और पिछड़े लोगों के प्रति जुड़ाव का उपबन्ध सम्मिलित है।
(ज) स्वच्छता– अपशिष्ट का संग्रहण, परिवहन और निस्तारण, सार्वजनिक स्थलों की सफाई, जल निकाय और मल उपचार संयंत्र का उपबन्ध, कीचड़ निस्तारण उपबन्ध और प्रसाधन तथा अन्य सम्बन्धित क्रियाकलापों से सम्बन्धित उपबन्ध।	**(ज) स्वच्छता**– अपशिष्ट का संग्रहण, परिवहन और निस्तारण, सार्वजनिक स्थलों की सफाई, जल निकाय और मल उपचार संयंत्र का उपबन्ध, कीचड़ निस्तारण उपबन्ध और प्रसाधन तथा अन्य सम्बन्धित क्रियाकलापों से सम्बन्धित उपबन्ध।
(ख) अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र– 40 प्रतिशत तक की निधि का उपयोग निम्नलिखित मदों में किया जायेगा :–	**(ख) अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र**– 40 प्रतिशत तक की निधि का उपयोग निम्नलिखित मदों में किया जायेगा :–
(क) भौतिक अवसंरचना– अपेक्षित भौतिक अवसंरचना सड़क, पुल, रेलमार्ग तथा जलमार्ग सम्बन्धी परियोजनाओं का उपबन्ध और अनुरक्षण।	**(क) भौतिक अवसंरचना**– अपेक्षित भौतिक अवसंरचना सड़क, पुल, रेलमार्ग तथा जलमार्ग सम्बन्धी परियोजनाओं का उपबन्ध और अनुरक्षण।
(ख) सिंचाई– सिंचाई के वैकल्पिक स्त्रोत को विकसित करना और उपयुक्त तथा विकसित सिंचाई तकनीकों को अंगीकृत करना।	**(ख) सिचाई**– सिंचाई के वैकल्पिक स्रोत को विकसित करना और उपयुक्त तथा विकसित सिंचाई तकनीकों को अंगीकृत करना।
(ग) ऊर्जा एवं जलविभाजक विकास– ऊर्जा एवं वर्षा जल संचयन प्रणाली के वैकल्पिक स्त्रोत का विकास, फलोद्यानों, एकीकृत कृषि और आर्थिक एवं जलागम पुनर्स्थापन का विकास।	**(ग) ऊर्जा एवं जलविभाजक विकास**– ऊर्जा एवं वर्षा जल संचयन प्रणाली के वैकल्पिक स्रोत का विकास, फलोद्यानों, एकीकृत कृषि और आर्थिक एवं जलागम पुनर्स्थापन का विकास।
(घ) खनन वाले जिला में पर्यावरणीय गुणवत्ता में वृद्धि करने हेतु कोई अन्य उपाय – **(एक)** फाउन्डेशन के न्यासियों द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु तैयार की गयी वार्षिक कार्य योजना के अनुसार जिले में खनन संक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्र का समग्र विकास। **(दो)** सामाजिक और आर्थिक प्रयोजनों के लिये स्थानीय अवसंरचना का सृजन। **(तीन)** खनन संक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्र में स्थानीय जनसंख्या के लिये सामुदायिक आस्तियों और सेवाओं की व्यवस्था करना, अनुरक्षण करना और उनका उच्चीकरण करना।	**(घ)** खनन वाले जिला में पर्यावरणीय गुणवत्ता में वृद्धि करने हेतु कोई अन्य उपाय – **(एक)** फाउन्डेशन के न्यासियों द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु तैयार की गयी वार्षिक कार्य योजना के अनुसार जिलें में खनन संक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्र का समग्र विकास। **(दो)** सामाजिक और आर्थिक प्रयोजनों के लिये स्थानीय अवसंरचना का सृजन। **(तीन)** खनन संक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्र में स्थानीय जनसंख्या के लिये सामुदायिक आस्तियों और सेवाओं की व्यवस्था करना, अनुरक्षण करना और उनका उच्चीकरण करना।

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(चार) रोजगार एवं स्वरोजगार क्षमताओं के सृजन हेतु कौशल विकास तथा क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना तथा संचालित करना :	**(चार)** रोजगार एवं स्वरोजगार क्षमताओं के सृजन हेतु कौशल विकास तथा क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना तथा संचालित करना :
प्रतिबन्ध यह है कि वर्ष में न्यास द्वारा प्राप्त कुल निधियों की अनाधिक 5 प्रतिशत धनराशि न्यास द्वारा अपने प्रशासनिक या अधिष्ठान सम्बन्धी व्ययों की पूर्ति के लिये व्यय की जा सकती है :	प्रतिबन्ध यह है कि वर्ष में न्यास द्वारा प्राप्त कुल निधियों की अनाधिक 5 प्रतिशत धनराशि न्यास द्वारा अपने प्रशासनिक या अधिष्ठान सम्बन्धी व्ययों की पूर्ति के लिये व्यय की जा सकती है:
अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि न्यास की निधि या उसके किसी भाग का प्रयोग, किसी लाभग्राही के किसी ऋण के अग्रिम के लिये या उसे नकद अनुदान प्रदान करने के लिये नहीं किया जायेगा।	अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि न्यास की निधि या उसके किसी भाग का प्रयोग, किसी लाभग्राही के किसी ऋण के अग्रिम के लिये या उसे नकद अनुदान प्रदान करने के लिये नहीं किया जायेगा:
	प्रतिबन्ध यह भी है कि न्यास निधि या उसके किसी भाग का उपयोग ऐसे उद्देश्यों के लिए किया जायेगा जैसा कि केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निदेशित किया जाये।

आज्ञा से,
डा0 रोशन जैकब,
सचिव।

टिप्पणी

(1) उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 866/86–2017–132–2016, दिनांक 15 मई, 2017 में प्रकाशित की गई।

(2) उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 436/86–2020–132–2016टी0सी0–II, दिनांक 18 मार्च, 2020 में प्रकाशित की गई।

आज्ञा से,
हृदय नारायण सिंह यादव,
उप सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 874/LXXXVI-2021-132-2016, dated August 17, 2021 :

No. 874/LXXXVI-2021-132-2016

Dated Lucknow, August 17, 2021

IN exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9-B and sections 15 and 15-A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (Act no. 67 of 1957), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the District Mineral Foundation Trust Rules, 2017 .

THE UTTAR PRADESH DISTRICT MINERAL FOUNDATION TRUST (SECOND AMENDMENT) RULES, 2021

Short title and commencement

1.(1) These rules may be called the Uttar Pradesh District Mineral Foundation Trust (Second Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

Amendment of rule 4

2. In the Uttar Pradesh District Mineral Foundation Trust Rules, 2017 (hereinafter referred to as the "said rules") , *for* rule 4 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-I *Existing rule*		COLUMN-II *Rule as hereby substituted*	
4. The composition and management of the Trust shall be:-		4. The composition and management of the Trust shall be:-	
(1) The Trust shall consist of a Governing Council and a Managing Committee.		(1) The Trust shall consist of a Governing Council and a Managing Committee.	
(2) The authority to manage the trust shall vest in the Governing Council.		(2) The authority to manage the trust shall vest in the Governing Council.	
(3) The Governing Council shall consist of, -		(3) The Governing Council shall consist of, -	
(a) District Officer/ Collector	Chairman	(a) District Officer/Collector	Chairman
(b) Divisional Forest Officer	Member	(b) Divisional Forest Officer	Member
(c) Chief Medical Officer	Member	(c) Chief Medical Officer	Member
(d) Executive Engineer, Public Work Department	Member	(d) Executive Engineer, Public Work Department	Member
(e) District Basic Education Officer	Member	(e) District Basic Education Officer	Member
(f) District Panchayati Raj Officer	Member	(f) District Panchayati Raj Officer	Member
(g) District Mines Officer	Member Secretary	(g) District Mines Officer	Member Secretary
(h) Two Mining Lease Holders as nominated by District Officer.	Member	(h) Two Mining Lease Holders as nominated by District Officer	Member
(i) One representative of the Institution using the mineral, if any	Member	(i) One representative of the Institution using the mineral, if any	Member
(j) Representative of the directly affected areas as nominated by District Officer	Member	(j) Representative of the directly affected areas as nominated by District Officer	Member
		(k) (i) Member of Parliament (MP) in the Lok Sabha of the District.	Member

COLUMN-I *Existing rule*	COLUMN-II *Rule as hereby substituted*	
	In case there are more than one Member of Parliament (MPs) of Lok Sabha in a district, all such MPs of Lok Sabha of the said district shall be members of the Governing Council. In case the constituency of a Member of Parliament of Lok Sabha falls in more than one districts, such an MP of Lok Sabha shall be member of the Governing Council of all such districts.	
	(ii) Member of Parliament in Rajya Sabha from the State in one district selected by him. The Member of Parliament in Rajya Sabha shall intimate name of the district selected by him to the Secretary in-charge of the Mining Department of the State, who in turn shall inform about the same to the concerned District Magistrate.	Member
	(iii) The Member of Legislative Assembly (MLAs) of the District.	Member
	(iv) The Members of Legislative Council of the State (MLC) in one district selected by him. The MLC shall intimate name of the district selected by him to the Secretary in-charge of the Mining Department of the State, who in turn shall inform about the same to the concerned District Magistrate.	Member

COLUMN-I *Existing rule*	COLUMN-II *Rule as hereby substituted*
(4) The tenure of a non official member shall be for three years.	(4) The tenure of a non official member shall be for three years.
(5) The tenure of an official member shall cease to hold office when he/she ceases to hold the Government Post.	(5) The tenure of an official member shall cease to hold office when he/she ceases to hold the Government Post.
(6) The day to day functioning of the Trust shall vest in the Managing Committee.	(6) The day to day functioning of the Trust shall vest in the Managing Committee.
(7) (a) The Managing Committee shall consists of,-	(7) (a) The Managing Committee shall consists of,-

COLUMN-I *Existing rule*		COLUMN-II *Rule as hereby substituted*	
(i) District Officer / Collector	Chairman	(i) District Officer/ Collector	Chairman
(ii) Additional District Officer (Finance & Revenue)	Member	(ii) Additional District Officer (Finance & Revenue)	Member
(iii) One of the Sub Divisional Magistrate as nominated by District Officer	Member	(iii) One of the Sub Divisional Magistrate as nominated by District Officer	Member
(iv) District Mines Officer	Member Secretary	(iv) District Mines Officer	Member Secretary
(b) The tenure of an official member of the managing Committee shall cease to hold office of member when he/she cease to hold Government post.		(b) The tenure of an official member of the managing Committee shall cease to hold office of member when he/she cease to hold Government post.	

Amendment of rule 17

3. In the said rules, *for* rule 17 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely :-

COLUMN-I *Existing rule*	COLUMN-II *Rule as hereby substituted*
17. The funds available with the Trust shall be utilized for :-	**17.** The funds available with the Trust shall be utilized for :-
(A) High priority areas-at least 60% fund shall be utilized under following heads:-	(A) High priority areas-at least 60% fund shall be utilized under following heads:-
(a) Drinking water supply- Centralized purification systems, water treatment plants, permanent/temporary water distribution network including stand alone facilities for drinking water, laying of piped water supply system.	(a) Drinking water supply- Centralized purification systems, water treatment plants, permanent/temporary water distribution network including stand alone facilities for drinking water, laying of piped water supply system.
(b) Environment preservation and pollution control measures-Effluent treatment plants, prevention of pollution of streams, lakes, ponds, ground water and other water sources in the region, measures to control air and dust pollution caused by mining operations and dumps, mine drainage system, mine pollution prevention technologies, measures for working or abandoned mines, other air, water and surface pollution control mechanisms, preparation of scientific district survey report for environment friendly and sustainable mine development and providing necessary equipment and personnel for the creation of technical infrastructure to control illegal mining/transportation with the purpose of environmental protection and pollution control.	(b) Environment preservation and pollution control measures-Effluent treatment plants, prevention of pollution of streams, lakes, ponds, ground water and other water sources in the region, measures to control air and dust pollution caused by mining operations and dumps, mine drainage system, mine pollution prevention technologies, measures for working or abandoned mines, other air, water and surface pollution control mechanisms, preparation of scientific district survey report for environmental friendly and sustainable mine development and providing necessary equipment and personnel for the creation of technical infrastructure to control illegal mining/ transportation with the purpose of environmental protection and pollution control.

COLUMN-I *Existing rule*	COLUMN-II *Rule as hereby substituted*
(c) Health care-The focus must be on creation of primary/secondary/ tertiary health care facilities in the affected areas. The emphasis should not be only on the creation of the health care infrastructure, but also on provision of providing necessary staff, equipment and supplies required for making such facilities effective. To that extent, the effort should be to supplement and work in convergence with the existing health care infrastructure of the local bodies, State and Central Government. The expertise available with the National Institute of Mines Health may also be drawn upon to design special infrastructure needed to take care of mining related illness and diseases. Group insurance Scheme for health care may be implemented for mining affected persons.	(c) Health care-The focus must be on creation of primary/secondary /tertiary health care facilities in the affected areas. The emphasis should not be only on the creation of the health care infrastructure, but also on provision of providing necessary staff, equipment and supplies required for making such facilities effective. To that extent, the effort should be to supplement and work in convergence with the existing health care infrastructure of the local bodies, State and Central Government. The expertise available with the National Institute of Mines Health may also be drawn upon to design special infrastructure needed to take care of mining related illness and diseases. Group insurance Scheme for health care may be implemented for mining affected persons.
(d) Education- Construction of school buildings, additional class rooms, Laboratories, Libraries, arts and craft room, toilet blocks, drinking water provisions, residential hostels for students/ teachers in remote areas, sports infrastructure, vocational training facility, engagement of teachers/ other supporting staff, e-learning setup, other arrangement of transport facilities (bus/van/cycles /rickshaws etc.) and nutrition related programs.	(d) Education- Construction of school buildings, additional class rooms, Laboratories, Libraries, arts and craft room, toilet blocks, drinking water provisions, residential hostels for students/ teachers in remote areas, sports infrastructure, vocational training facility, engagement of teachers/ other supporting staff, e-learning setup, other arrangement of transport facilities (bus/van/ cycles/rickshaws etc.) and nutrition related programs.
(e) Welfare of women and children- Special programs for addressing problems of maternal and child health, malnutrition, adolescence, infectious disease etc. can be taken up under the Trust.	(e) Welfare of women and children- Special programs for addressing problems of maternal and child health, malnutrition, adolescence, infectious disease etc. can be taken up under the Trust.
(f) Welfare of aged and disabled people- Special program for welfare of aged and disabled people.	(f) Welfare of aged and disabled people- Special program for welfare of aged and disabled people.
(g) Skill development- Skill development for livelihood support, income generation and economic activities for local eligible persons. The project/ schemes may include training, development of vocational/skill development center, self employment schemes, support to Self help groups and provision of forward and backward linkages for such self-employment economic activities.	(g) Skill development- Skill development for livelihood support, income generation and economic activities for local eligible persons. The project/ schemes may include training, development of vocational/skill development center, self employment schemes, support to Self help groups and provision of forward and backward linkages for such self-employment economic activities.

COLUMN-I *Existing rule*	COLUMN-II *Rule as hereby substituted*
(h)Sanitation - Collection, transportation and disposal of waste, cleaning of public places, provision of proper drainage and sewage treatment plant, provision for disposal of fecal sludge, provision of toilets and other related activities.	(h)Sanitation - Collection, transportation and disposal of waste, cleaning of public places, provision of proper drainage and sewage treatment plant, provision for disposal of fecal sludge, provision of toilets and other related activities.
(B) Other priority areas- Up to 40% Fund shall be utilized under the following heads-	(B) Other priority areas- Up to 40% Fund shall be utilized under the following heads-
(a) Physical infrastructure- Providing required physical infrastructure and its maintenance- roads, bridges, railway and waterways projects.	(a) Physical infrastructure- Providing required physical infrastructure and its maintenance- roads, bridges, railway and waterways projects.
(b) Irrigation–Developing alternate source of irrigation, adoption of suitable and advanced irrigation techniques.	(b) Irrigation–Developing alternate source of irrigation, adoption of suitable and advanced irrigation techniques.
(c) Energy and Watershed development–Development of alternate source of energy and rainwater harvesting system. Development of orchards, integrated farming and economic and restoration of catchments.	(c) Energy and Watershed development–Development of alternate source of energy and rainwater harvesting system. Development of orchards, integrated farming and economic and restoration of catchments.
(d) Any other measures for enhancing environmental quality in mines bearing district–	(d) Any other measures for enhancing environmental quality in mines bearing district–
(i) The overall development of the area affected by mining related operation in the District in accordance with the Annual Action Plan prepared by the trustees of the Foundation for the purpose;	(i) The overall development of the area affected by mining related operation in the District in accordance with the Annual Action Plan prepared by the trustees of the Foundation for the purpose;
(ii) Creation of the local infrastructure for socioeconomic purposes;	(ii) Creation of the local infrastructure for socioeconomic purposes;
(iii)Providing, maintaining or upgrading of community assets and service for local population in the area affected by mining related operations;	(iii) Providing, maintaining or upgrading of community assets and service for local population in the area affected by mining related operations;
(iv) Organizing or conducted training programs for skill development and capacity building for creating employment and self-employment capabilities:	(iv) Organizing or conducting training programmes for skill development and capacity building for creating employment and self-employment capabilities:
Provided that a sum not exceeding 5% of the total funds received by the Trust in the year may be spent by the Trust for meeting its administrative or establishment expenses:	Provided that a sum not exceeding 5% of the total funds received by the Trust in the year may be spent by the Trust for meeting its administrative or establishment expenses:
Provided further that the trust fund or any part thereof shall not be used for	Provided further that the trust fund or any part thereof shall not be used for advancement of any loan or

COLUMN-I *Existing rule*	COLUMN-II *Rule as hereby substituted*
advancement of any loan or grants in cash to any of the beneficiaries.	grants in cash to any of the beneficiaries: **Provided also that the trust fund or any part thereof shall be used for such purposes as directed by the Central Government /State Government from time to time.**

By order,
DR. ROSHAN JACOB,
Sachiv.

N.B. :-

1. The Uttar Pradesh District Minerals Foundation Trust Rules, 2017, issued *vide* notification no. 866/86-2017-132/2016, dated May 15, 2017 were published in the Uttar Pradesh *Gazette* dated May 15, 2017.
2. The Uttar Pradesh District Minerals Foundation Trust (first amendment) Rules, 2020, issued *vide* notification no. 43/86-2020-132/2016T.C.-II, dated March 18, 2020 were published in the Uttar Pradesh *Gazette* dated March 18, 2020.

By order,
HRIDAY NARAYAN SINGH YADAV,
Up Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 237 राजपत्र–2021–(545)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 2 भूतत्व एवं खनिकर्म–2021–(546)–1500–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।